

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 102/NG/2020/OPTG/SPJ

श्री राजन कुमार, पुत्र श्री जवाहर लाल प्रसाद, गुड्स गार्ड/आदित्यपुर/जीपी - 2800, लेवल-05, दक्षिण पूर्व रेलवे/चक्रधरपुर मंडल, का श्री कुंज बिहारी महतो, पुत्र स्व० लालू महतो, गुड्स गार्ड/नरकटियागंज, जीपी - 2800, लेवल-05, पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर मंडल के साथ, चक्रधरपुर मंडल के पत्र सं०- SER/P-CKP/TMS/ET/223/RK & KBM/2018 Dated 28-11-2018 एवं समस्तीपुर मंडल के पत्र सं०- का/1/283/आईआर/आईडी/पारस्परिक स्था०/गार्ड/सम०/पार्ट-3, दिनांक 17.10.2018 के द्वारा स्वयं के अनुरोध पर अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।

श्री राजन कुमार, गुड्स गार्ड/आदित्यपुर, जो मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/चक्रधरपुर के पत्र संख्या:- SER/P-CKP/TMS/ET/223/IRMT/RK/Release/2020 Dated 12.02.2020 द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 14.02.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को स्टेधी/नरकटियागंज के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

उक्त पारस्परिक स्थानान्तरण कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

इस कार्यालय के पत्र सं० - का/283/आईआर/आईडी/पारस्परिक स्था०/गार्ड/सम०/पार्ट-3, दिनांक 23.04.2019 के द्वारा श्री कुंज बिहारी महतो, गुड्स गार्ड/नरकटियागंज, जीपी - 2800, लेवल-05 को चक्रधरपुर मंडल हेतु विरमित कर दिया गया है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।  
श्री राजन कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Rajan Kumar



सहायक कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

(एम. के. चौधरी)  
सहायक कार्मिक अधिकारी-1  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर

सं०- का/283/आईआर/आईडी/पारस्परिक स्था०/गार्ड/सम०/पार्ट-3 दिनांक 14.02.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/चक्रधरपुर मंडल, पश्चिम रेल -कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए०पी०ए०आर० एवं सेवा अभिलेख विधिकरणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
02. वमपचाप्र./समस्तीपुर
03. वमंविप्र./समस्तीपुर
04. स्टेधी/नरकटियागंज -कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
05. मुकार्याधी/परिचालन संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
06. मुकार्याधी/यातायात बिल-कार्यालय में।
07. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल।
08. संबंधित कर्मचारी
09. अभिलेख हेतु।

सहायक कार्मिक अधिकारी  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर